भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार
वर्ष 2020

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष एक-एक लाख रुपए के उन्नीस पुरस्कार प्रदान करता है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जा रही है।

1. <u>पात्रता एवं शर्तें</u>

1. पुस्तक निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए:-
(क) सृजनात्मक साहित्य, कथा साहित्य, नाटक संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, काव्य एवं समीक्षा से संबंधित उत्कृष्ट, मौलिक तथा चितंनपरक कृतियाँ ।
(ख) क्षेत्रीय संस्कृति, ललित कला एवं मानविकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित मौलिक कृतियाँ ।
(ग) भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट ग्रंथों का हिंदी अनुवाद ।
2. शोध प्रबंध/लघु शोध प्रबंध तथा पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. ऐसे लेखक जिनकी मातृभाषा हिंदी को छोडकर अन्य कोई भारतीय भाषा हो और जो देश के किसी हिंदीतर भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश में रह रहे हों, अपनी प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं।
4. जो लेखक 15 वर्ष या इससे अधिक समय तक किसी हिंदी भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश में कभी भी रहें हों/रह रहे हों, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
5. योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2019 के बीच प्रकाशित कृतियाँ ही विचारणीय होंगी।
6. पुस्तक कम से कम सौ पृष्ठों की होनी अनिवार्य है।
7. योजना के अंतर्गत इससे पूर्व पुरस्कृत हो चुके लेखकों की कृतियाँ विचारणीय नही होंगी।
8. भारत सरकार अथवा इसके द्वारा पोषित उपक्रमों संस्थाओं, राज्य सरकारों अथवा व्यावसायिक संस्थाओं/संगठनों द्वारा पुरस्कृत कोई कृति विचारणीय नहीं होगी ।
9. केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रित योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
10. पुस्तक की पाँच प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र के साथ ही भेजी जाएं । पुस्तकें वापस नहीं की जाएंगी।
11. पुस्तक की **पाँच प्रतियों में से तीन प्रतियों पर से लेखक और प्रकाशक के नाम वाले भाग हटा दिए जाएं** तथा निदेशालय को भेजने से पूर्व उन प्रतियों की पुन: जिल्दबंदी करा दी जाए । शेष दो प्रतियाँ यथा स्वरुप भेजें। निर्धारित विवरण पत्र निदेशालय की वेबसाइट <u>www.chdpublication.mhrd.gov.in</u> से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रविष्टियाँ इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर अधोलिखित पते पर पहुँच जानी चाहिए-

गांधारी पांगती
उप निदेशक (पुरस्कार)
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
पश्चिमी खंड-7, आर. के. पुरम.
नई दिल्ली-110066
दूरभाष: 011-26105211/एक्स-234/212